R- 3259/PBR/15

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
केंप इंदौर जिला इंदौर के समक्ष

अब्दुल करीम पिता सुल्तान निलगर
निवासी- गोगावा तहसील गोगावा
जिला खरगोन -- प्रार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
1 श्रीमान कमिश्नर महोदय,
कमिश्नर कार्यालय, इंदौर म.प्र.
2 श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला खरगोन -- प्रतिप्रार्थीगण

रिविजन म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत माननीय कमिश्नर महोदय की अपील कमांक 450/2014-15/अपील के आदेश दिनांक 01/09/2015 से असंतुष्ट होकर जो कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय खरगोन के रा.प्र. कमांक 74/बी-121/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 29/07/2015 से अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय एवं कमिश्नर महोदय द्वारा आवेदन पत्र की सहायता को न समझते हुऐ, आवेदन पत्र इस आधार पर खारीज किया गया है कि अर्जित किया गया रकबा 0.169 हे. का भू अर्जन हो चुका होकर नक्शे मे अमल दरामद किया गया है, माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश पारित करने से आवेदन पत्र नस्तीबद्ध किया गया है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30/05/2014 एवं माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 29/07/2015 उपरोक्त अपील के साथ संलग्न है। साथ ही माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01/09/2015 भी उपरोक्त रिविजन के साथ संलग्न है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3259–पीबीआर/2015 [अब्दुल रहीम/ आमिन] जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–11–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–9–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में एवं इस न्यायालय से चाहा गया उपचार इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	